

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TOURISM

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.86
ANSWERED ON 09.02.2023

PRASHAD SCHEME IN ANDHRA PRADESH

86 SHRI MASTHAN RAO BEEDA:

Will the Minister of **TOURISM** be pleased to state:

- (a) the details of the projects selected under the Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) Scheme in the State of Andhra Pradesh;
- (b) the status of completion of these projects;
- (c) the details of the funds released so far for these projects;
- (d) whether Government has received any proposal from the State Government of Andhra Pradesh for inclusion of new projects under the Scheme; and
- (e) if so, the details thereof and the steps taken by Government in response to such proposals?

ANSWER

THE MINISTER OF TOURISM

(SHRI G. KISHAN REDDY)

(a) to (e): A Statement is laid on the table of the House.

STATEMENT IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.86 ANSWERED ON 09.02.2023 REGARDING PRASHAD SCHEME IN ANDHRA PRADESH.

(a) to (e): As a continuous process, under PRASHAD Scheme of the Ministry of Tourism destinations are identified and projects are approved as per the projects proposals received from the respective State Governments/Union Territory Administrations in line with the Guidelines of the scheme. On the basis of the requests received from the State Government of Andhra Pradesh, Amaravati of Guntur, Srisailam of Kurnool, Sri Varaha Lakshmi Narsimha Swami Vari Devasthanam at Simhachalam in Vishakhapatnam, Annavaram Temple Town, Kakinada and Vedagiri Lakshmi Narasimhaswamy Temple, Nellore have been included in the Scheme for development of pilgrimage tourism infrastructure. Status of the projects approved for the State under the Scheme, is given below:

Sl. No.	Name of the Project	Year of Sanction	Approved Cost (₹ in Cr.)	Execution Status
1	Development of Amaravati Town, Guntur District as a Tourist Destination	2015-16	27.77	Complete
2	Development of Srisailam Temple	2017-18	43.08	Complete
3	Development of Pilgrimage Amenities at Sri Varaha Lakshmi Narsimha Swami Vari Devasthanam at Simhachalam in Vishakhapatnam	2022-23	54.04	Recently approved on 14.12.2022

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 86

गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में प्रसाद योजना

86. श्री मस्थान राव बीडा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आंध्र प्रदेश राज्य में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन (प्रसाद) योजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं के लिए अब तक जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ.) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

आंध्र प्रदेश में प्रसाद योजना के संबंध में दिनांक 09.02.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 86 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

(क) से (ड.) : पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप गंतव्यों की पहचान और परियोजनाओं का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर गुंटूर के अमरावती, कुरनूल के श्रीसैलम, विशाखापत्तनम के सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी वारी देवस्थानम, अन्नावरम टेंपल टाउन, काकीनाड़ा और वेदगिरी लक्ष्मी नरसिंहास्वामी मंदिर, नेल्लौर को तीर्थयात्रा पर्यटन अवसंरचना के विकास संबंधी योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	कार्यान्वयन की स्थिति
1	अमरावती शहर, गुंटूर जिले का पर्यटन स्थल के रूप में विकास	2015-16	27.77	पूर्ण
2	श्रीसैलम मंदिर का विकास	2017-18	43.08	पूर्ण
3	विशाखापत्तनम में सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी वारीदेवस्थानम में तीर्थ सुविधाओं का विकास	2022-23	54.04	हाल ही में दिनांक 14.12.2022 को अनुमोदित
